

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 354/2022

दिनांक : 30.11.2022

श्री किशन सान्दू (RJ1397), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय—पोकरण को दिनांक 05.12.2022 से 14.12.2022 तक 10 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 04.12.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सान्दू की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय—पोकरण के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/150/2020/8635

दिनांक 30.11.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर को उनके पत्रांक 2490 दिनांक 15.11.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री किशन सान्दू (RJ1397), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय—पोकरण।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय—पोकरण।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।

30.11.2022
सहायक रजिस्ट्रार